

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छ0ग0



क्रमांक/वाहन/2017/

13533

कोरबा दिनांक : 27/01/17

-:शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु प्रथम मुहर बंद निविदा सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्था की बंद पड़ी कुल 11 (ग्यारह) अनुपयोगी शासकीय वाहनों को मुहर बंद निविदा के द्वारा विक्रय किया जाना है। मुहर बंद निविदा पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छ.ग. मे प्राप्त होने की अंतिम तिथि 19.01.2018 सायं 5:30 बजे तक है। विवरण निम्नानुसार है:-


क	वाहन क्र/मेक मॉडल वर्ष	संस्था का नाम	वर्तमान मे जहां वहान खड़ी है	वाहन का ऑफसेट प्राइज	वाहन की 5% अमानत राशि	रिमार्क
1	सी.जी. 02/1742 आईसर एम्बुलेंस डीजल 2002	जिला.चिकि.	जिला.चिकि. कोरबा	52000.00	2600.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
2	सी.जी. 02/ए.0115 आईसर एम्बुलेंस डिजल-2007	जिला चिकि.	जिला.चिकि. कोरबा	68000.00	3400.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
3	एम.पी. 26/एफ 4538 मारुति वेन एम्बुलेंस पेट्रोल - 2000	जिला चिकि.	जि.चिकि. कोरबा	5000.00	250.00	वाहन दस्तावेज उपलब्ध नहीं
4	सी.जी. 02 2340, टाटा स्पेशियो-2003	प्राथ.स्वा.के. कोरबा	कार्या.मु.चिकि. एवं स्वा.अधि. कोरबा	22000.00	1100.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
5	सी.जी. 12/9911 मारुति वेन एम्बुलेंस पेट्रोल-2002	मु.चिकि.एवं स्वा. अधि. कोरबा	कार्या.मु.चिकि. एवं स्वा.अधि. कोरबा	8000.00	400.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
6	सी.जी. 02/2287 स्वराज माजदा मिनीबस-2003	जिला अंधत्व नियं. केन्द्र	जिला चिकि. कोरबा	23000.00	1150.00	वाहन दस्तावेज उपलब्ध नहीं
7	सी.जी. 02/1446 महिन्द्रा आर.टी.व्ही एम्बुलेंस-2002	सामु.स्वा.के. कटघोरा	सामु.स्वा.के. कटघोरा	31000.00	1550.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
8	सी.जी. 02/1641 स्वराज माजदा एम्बुलेंस-2002	सामु.स्वा.के. पाली	सामु.स्वा.के. पाली	42000.00	2100.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
9	सी.जी. 02/1656 स्वराज माजदा एम्बुलेंस -2002	सामु.स्वा.के. करतला	सामु.स्वा.के. करतला	44000.00	2200.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
10	एम.पी.02/4764 स्वराज माजदा मिनीबस-2000	सामु.स्वा.के. करतला	सामु.स्वा.के. करतला	23000.00	1150.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur
11	सी.जी. 02/3680 मरुति वेन एम्बुलेंस पेट्रोल-2004	सामु.स्वा.के. पाली	सामु.स्वा.के. पाली	2700.00	135.00	वाहन आवंटन आदेश CG.Govt. DHS Raipur

टीप:- निविदा शर्तें कार्यालय के सूचना पटल व कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट [www.korba.gov.in](http://www.korba.gov.in) मे देखी जा सकती है/प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
9 जिला कोरबा छ.ग.

-:शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु प्रथम मुहर बंद निविदा सूचना शर्त:-

01. इच्छुक व्यक्ति सादे कागज अथवा कम्प्यूटर टायपिंग द्वारा मुहर बंद निविदा दिनांक 19.01.18 तक कार्यालयीन समय शायं 5:30 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से सील बंद लिफाफे पर जिस-जिस वाहन के लिये निविदा भरी गई है उसके समक्ष उक्त वाहन का क्रमांक एवं प्रत्येक वाहन की अमानत राशि 05 प्रतिशत अर्थात् विज्ञापन में दर्शित राशि डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) अलग-अलग वाहनों के अनुसार अलग-अलग आवेदन संलग्न कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा छ.ग. के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
02. मुहर बंद निविदा में अधिकतर दर वाले निविदाकार को वाहन प्रदाय अधिकार पत्र दिया जावेगा।
03. अधिकतम दर पर भरे गये निविदाकार को सात (07) दिवस के अंदर शेष राशि डी.डी.के माध्यम से देय होगी, तभी वाहन को संबधित वाहन का अधिकार पत्र सौंपा जावेगा। निर्धारित दिनों में शेष राशि जमा नहीं करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। राशि जमा करने के उपरांत तथा वाहन का अधिकार पत्र सौंपने के पश्चात् रखरखाव/सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कार्यालय की/जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की नहीं होगी बल्कि स्वयं निविदाकार की होगी।
04. वाहन का हस्तांतरण निविदाकार के नाम पर अपने स्वयं के व्यय एवं जवाबदारी पर आर.टी.ओ. से करानी होगी। जिस वाहन का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उस वाहन का पंजीयन दस्तावेज का गुमशुदा प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय द्वारा दिया जावेगा।
05. वाहनों के विक्रय संबंधी समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगी जो सर्वमान्य होगी।
06. वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है निविदाकार को अपने स्वयं के व्यय से एवं व्यवस्था पर उठायेंगे।
07. वाहन दर्शित स्थल में कार्यालयीन समय में जहां है, जैसी स्थिति में है देखी जा सकती है। निर्धारित समय व तिथि में प्राप्त होने वाले निविदा को स्वीकार किया जावेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
08. निविदा स्वीकृति पश्चात् क्रेता को परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन क्रमांक का उपयोग क्रेता द्वारा नहीं किया जावेगा।
09. प्राप्त निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् अगले कार्य दिवस को दोपहर 3:30 बजे समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में खोली जावेगी। चाहे तो निविदाकार उपस्थित रह सकते हैं।
10. प्रथम सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन नहीं लेने पर द्वितीय सफल निविदाकार को अर्थात् जिसका वाहन ऑफसेट प्राईज से अधिक हो उसे वाहन प्रदाय कर दिया जावेगा।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला कोरबा छ.ग.